दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

17 दिसम्बर, 2003 / अग्रहायण 26, 1925 (शक)

संख्या : 04

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपराज्यपाल ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 को निम्नलिखित आदेश जारी किये हैं :-

"जबकि दिनांक 18.12.2003 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तृतीय विधान सभा की प्रथम बैठक प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है,

अतएव, अब मैं एतदद्वारा चौधरी प्रेम सिंह, सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नव निर्वाचित विधान सभा को, उक्त बैठक के प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये और तब तक के लिये, जब तक कि नये अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, नियुक्त करता हूं ।

मैं एतदद्वारा चौधरी प्रेम सिंह को ऐसे व्यक्ति के रूप में भी नियुक्त करता हूं जिसके समक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नव निर्वाचित विधान सभा के सदस्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,1991 की धारा-12 के अनुसार शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।"

सिद्धार्थ राव

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other matters)

17th December, 2003/Agrahayana 26, 1925(Saka)

No. 04

APPOINTMENT OF SPEAKER PRO TEM

Hon'ble Members are informed that the Lt. Governor has issued the following order dated the 17th December 2003: -

"WHEREAS the Offices of the Speaker and Deputy Speaker fall vacant immediately before the commencement of the first meeting of the third Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 18th December 2003;

Now, therefore, I hereby appoint Chaudhary Prem Singh, a member of the newly elected Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, to perform the duties of the office of the Speaker from the commencement of the said meeting and until the new Speaker is elected.

I also hereby appoint Chaudhary Prem Singh to be the person before whom members of the newly elected Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall make and subscribe to oath or affirmation in accordance with the provisions of section 12 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991"

SIDDHARATH RAO

SECRETARY